# उत्तर प्रदेश चल–चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1954, जिसे उत्तर प्रदेशीय विधानसभा ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत संविधान के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 जनवरी, 1956 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 23 जनवरी, 1956 को प्रकाशित हुआ।

चल–चित्रों [1]{और वीडियो} के माध्यम से प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था करने का अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल–चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन [2]{और वीडियो} के द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय;

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:–

| | |
|---|---|
| 1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ– | (1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश चल–चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।<br>(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।<br>(3) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे। |
| 2–परिभाषायें | इस अधिनियम में, विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात होने पर–<br>[3]{(क) ''अपीलीय अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार से होगा जब अपील इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी के आदेश के विरूद्ध की गयी हो और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध की गयी हो, तो मण्डलायुक्त से होगा;<br>(क–1) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित ऐसे स्थानिय प्राधिकरण से है, अपनी अधिकारिता के अधीन भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसके पास ऐसी अचल सम्पत्ति के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां हैं<br>(क–2) ''मनोरंजन'' में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, क्रीडा(घुड़दौड़ सहित), डायरेक्ट–टू–होम प्रसारण सेवाएं, केबिल सेवाएं, चलचित्र, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन, जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित हैं और चलचित्र तथा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के मामले में वृत्त चित्र के प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान या पृथक रूप से समाचार–फिल्म, वृत्त चित्र, कार्टून, विज्ञापन, लघु फिल्म तथा स्लाइड्स सम्मिलित हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, मनोरंजन के रूप में अधिसूचित कोई क्रिया कलाप भी सम्मिलित हैं;<br>(क–3) ''वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन'' का तात्पर्य किसी पूर्व रिकार्डेड कैसेट या अन्य युक्ति द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय या वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य साधित्र द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, सचल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला को, चाहे टेलीविजन सेट की स्क्रीन पर या अन्यथा पर, प्रवेश के लिए भुगतान लेकर जनता के लिए या जनता में प्रदर्शन करने से है;<br>(क–4) ''मिनी सिनेमा'' का तात्पर्य 125 के बैठने के स्थान की क्षमता वाले किसी स्थायी भवन में चलचित्र प्रदर्शन या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त एकल स्क्रीन सिनेमा से है;<br>(क–5) ''मल्टीप्लेक्स'' का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सास्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ दो या दो से अधिक सिनेमा हालों के समूह या समुच्चय से है;} |

---

1. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा जोड़ा गया।
3. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा रखा गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

| | |
|---|---|
| | (कक) ''चल–चित्र यंत्र'' के अन्तर्गत चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों, [1]{वीडियो को छोड़कर}, के प्रदर्शन के निमित्त यंत्र से है;<br>[2]{व्याख्या–<br>''डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम हार्ड डिस्क के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से या अन्यथा डिजिटल प्रिन्ट डिलीवरी प्राप्त करके डिजिटल सिनेमा प्रदर्शन में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सेट है।''}<br>(ख) ''अध्यासी'' के अन्तर्गत प्रबन्धक अभिकर्ता अथवा अध्यासी के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत अथवा उसकी ओर से स्थान का अवधान, प्रबन्ध अथवा नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति है;<br>(ग) ''स्वामी'' के अन्तर्गत, जब यह किसी स्थान के अभिदेश में हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अध्यासी से किराया पता हो अथवा उसके पाने का अधिकार रखता हो;<br>(घ) ''स्थान'' के अन्तर्गत गृह, इमारत, खेमा अथवा अन्य कोई ढांचा तथा किसी प्रकार का परिवहन चाहे कुछ भी, है;<br>(ड०) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा<br>(च) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;<br>(छ) ''वीडियो का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है, चाहे उसे किसी नाम से भी पुकारा जाये, जिसमें वीडियो कैसेट से या किसी अन्य युक्ति से, चाहे जो भी नाम हो, रिकार्ड करना या पुनः प्रस्तुत करना या किसी रिकार्डिंग के माध्यम से पारेषण करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।''<br>(ज) ''वीडियो लाइब्रेरी'' से, कोई स्थान, उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जहाँ सचल चित्र या चित्रों के क्रम को, जिसे वीडियो कैसेट में रिकार्ड किया गया हो, बेचने या भाड़े पर देने या वितरित करने या विनिमय करने या किसी रीति से परिचालित करने का कारबार किया जाता है, अभिप्रेत है।<br>(झ) 'इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955 परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में समानुदेशित हैं। |
| 3– लाइसेंस | [3]{उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गयी हो, कोई भी व्यक्ति–<br>(क) चलचित्र [4]{या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम} द्वारा प्रदर्शन, या<br>(ख) वीडियो द्वारा प्रदर्शन, या<br>(ग) वीडियो लाइब्रेरी रखेगा, या<br>(घ) [5]निकाल दिया गया।<br>इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अथवा ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निरोधों का अनुपालन किये बिना नहीं करेगा;} |
| 4– लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी | [6]{इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी जिसे एतत् पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा;<br>परन्तु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रायोजनार्थ अधिसूचित किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी शक्तियां, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करें, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ–साथ या उसे अपवर्जित करते हुए प्रदान कर सकती है:<br>परन्तु यह और कि जहां ऐसी कोई शाक्तियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इस प्रायोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा साथ–साथ प्रयोक्तव्य हों, वहां उनमें से प्रत्येक अधिकारी अपने पारित समस्त आदेशों की सूचना एक दूसरे को देता रहेगा और उनके मध्य किसी विषय पर भिन्न राय होने की दशा में राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।}<br>————————————————<br>1. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा जोड़ा गया।<br>2. 2009 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा जोड़ा गया।<br>3. 2009 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>4. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा रखा गया।<br>5. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा भाब्द टेलीविजन सिग्नल रिसीवर ऐजन्सी निकाल दिया गया।<br>6. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। |

| | |
|---|---|
| 4–क– मनोरंजन आयोजित करने की अनुमति | [1]{(1) कोई मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।<br>(2) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे मनोरंजन की अनुमति स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् दे सकता है कि उस स्थल, जहां पर मनोरंजन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु समुचित सावधानी बरती गयी है तथा वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।<br>(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे मनोरंजन के आयोजन को रोक सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि–<br>(क) स्वामी ने कोई मिथ्या सूचना दी है, जिसके परिणाम स्वरूप करापवंचन सम्भावित हो;<br>(ख) स्वामी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंधों को को भंग किया है या उसके द्वारा भंग किया जाना संभावित हो; या<br>(ग) मनोरंजन का आयोजित किये जाने से लोक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव पडता हो;<br>परन्तु इस धारा में कोई बात डायरेक्ट होम, केबिल सेवाओं और इस अधिनियम के उपब्धों के अधीन अनुज्ञप्ति सभी मनोरंजनों पर लागू नहीं होंगी।} |
| 4–ख– **अनुज्ञापन और अनुमति से सम्बन्धित प्रावधान** | [2]{(1) धारा–3 में यथा उपबन्धित मनोरंजन हेतु अपेक्षित अनुज्ञाप्ति, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अन्यधिक पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जा सकती है:<br>(2) धारा–4–क में यथा उपबन्धित अनुमति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित पांच वर्ष से अनधिक की अपेक्षित अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है:<br>(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार विहित किया जाय, लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा या प्रदान करने से इन्कार करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस या अनुमति प्रदान की गयी समझी जायेगी।<br>[3]{(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस या अनुमति उसे 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकता/सकती है:<br>परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति, तथ्यों के दुर्व्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।}} |

---

1. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा जोड़ा गया।
2. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा जोड़ा गया।
3. 2021 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–2 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

| | |
|---|---|
| 5–लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध | (1) लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि वह निम्नांकित के विषय में सन्तुष्ट न हो कि–<br>(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्वतः अनुपालित किये गये हैं; तथा<br>(कक) भवन या अन्य स्थान जहां चलचित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो–<br>[1]{(i) राज भवन, राज्य सरकार के सचिवालय या उच्च न्यायालय से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है;}<br>(ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पूर्वावधान रखे गयें हैं।<br>(ग) लाइसेंस का दिया जाना अन्यथा लोकहित के प्रतिकूल नहीं है।<br>**स्पष्टीकरण–(1)** [2]निकाल दिया गया।<br>**स्पष्टीकरण–(2)** खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन हाते की बहरी सीमा से, उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्य भवन की हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायेगी।<br>[3]{**टिप्पणी**–सक्षम प्रधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मीटर–किलो ग्राम–सेकेण्ड(एम0के0एस0) प्रणाली में वास्तविक माप प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।}<br>(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के नियन्त्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अवधारित करे तथा ऐसा शुल्क देने पर जो नियत किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।<br>(3) लाइसेंस प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस न देने के निर्णय से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के भीतर जो नियत की जाय, राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, और राज्य सरकार ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।<br>(4) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय–समय पर लाइसेंस गृहीताओं को अथवा किसी विशेष लाइसेंस गृहीता को ऐसा आदेश दे सकती है, जिससे–वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थ फिल्मों तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक फिल्मों एवं स्वदेश में निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा ऐसा कोई आदेश जारी किये जाये तो उनके विषय में यह समझ जायेगा कि वह उन शर्तों और निरोधों के अतिरिक्त है, जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।<br>———————————————————————————<br>1. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>2. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा निकाल दिया गया।<br>3. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा जोड़ा गया। |

| | |
|---|---|
| 6–राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुछ मामलों में फिल्म का प्रदर्शन स्थगित करने का अधिकार | (1) यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शान्ति भंग होने की सम्भावना है तो राज्य सरकार, समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित कर सकते हैं। तत्पश्चात् ऐसे स्थगन काल में राज्य, उसके भाग अथवा सम्बद्ध जिले के भीतर, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 के अधीन दिये गये सर्टिफिकेट के होते हुए भी, फिल्म प्रदर्शित नहीं की जायेगी।<br>(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाये तो उसकी एक प्रति तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण सहित उसके द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायेगी, जो उस आज्ञा को पुष्ट अथवा उत्सर्जित कर सकती है।<br>(3) इस धारा के अधीन दी गयी स्थगन की आज्ञा, के दिनांक से दो मास तक प्रचलित रहेगी, किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक, जिसे वह उचित समझे बढ़ा दिया जायेगा। |
| 6–क–निरीक्षण | [1]{(1) अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी सहायता के साथ जैसा वह ठीक समझे, किसी उपयुक्त समय पर किसी स्थान पर, जिसे चलचित्र या वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए या [2]{वीडियो लाइब्रेरी} रखने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशंकित है, प्रवेश, निरीक्षण और तलाशी कर सकता है, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसमें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का अनुपालन किया जा रहा है।<br>(2) उपधारा(1) में संदर्भित प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।<br>(3) उपधारा(1) में संदर्भित प्रत्येक अधिकारी, किसी व्यक्ति से, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन कर रहा आशंकित है, अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने नाम और पते को तत्काल घोषित करे, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या नहीं बता पाता है या यदि अधिकारी उपयुक्ततः आशंका करता है कि वह अपना नाम और पता गलत बता रहा है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और निरूद्ध सकता है या निकटस्थ पुलिस थाना में उसे निरूद्ध करवा सकता है और इस दशा में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 42 के उपबंध होंगे।}<br>[3]{(4) उपधारा (1) में सन्दर्भित प्रत्येक अधिकारी को [4]{चलचित्र या डिजिटल प्रोजेक्" ान सिस्टम या वीडिया} के माध्यम से धारा 3 के उपबंधन के उल्लंघन में किए जाने वाले प्रदर्शन पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त होगी और इस प्रयोजन के लिए वह मामले की परिस्थितियों में ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।}<br>[5]{(5) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत प्रत्येक फिल्म का वीडियो कैसेट यथा" ाक्य भीघ्र अधिकारिता युक्त न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा जो उसकी समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदे" ा दे सकता है जैसा वह उचित समझे;<br>(6) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत फिल्म और वीडियो कैसेट अधिकारिता युक्त न्यायालय के किसी आदे" ा के द्वारा जब्त की जा सकेंगी;<br>किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक अभिग्रहण के दिनांक से एक मास का समय व्यतीत न हो जाये, और ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस पर किसी अधिकार का दावा करे, सुन न लिया जाये और साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया जाय, तब तक जब्ती का कोई आदे" ा नहीं किया जायेगा।}<br>————————————————————<br>1. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 के द्वारा जोड़ा गया।<br>2. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>3. 1989 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–12 के द्वारा जोड़ा गया।<br>4. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>5. 1995 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–32 के द्वारा जोड़ा गया। |

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

| | |
|---|---|
| 7—अनुज्ञप्ति का निलंबन, वापस लेने और निरस्त करने की शक्ति | [1]{(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि धारा—5 के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे—<br>(1) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो,<br>(2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है,<br>(1—क) विशिष्टतः और उपधारा(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा के अधीन, निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, अर्थातः—<br>(क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया था, या<br>(ख) धारा 5 के अधीन, यथास्थिति, आवेदन पत्र या अपील पर विचार करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी या [2]{अपीलीय प्राधिकारी} ने किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में भूल की हो जो लाइसेंस देने या न देने के प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक हो; या<br>(ग) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अथवा धारा 5 के उपधारा (4) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लघंन का दोषी हो; या<br>(घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस का जारी रहना शोभनीयता या नैतिकता के लिये अहितकर समझाा जाता है; या<br>(ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो।''}<br>(2) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा—5 के अधीन दिया हुआ लाइसेंस [3]{***}निरस्त कर देना चाहिए अथवा वापस ले लेना चाहिए तो वह यथा शीघ्र लाइसेंस गृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिन के अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसके विरूद्ध निदेवन—पत्र (Representation) प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे।<br>[4]{प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नहीं हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्यवाही करने के आधार को लाइसेंस गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थगित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यन्तर काल में दे सकता है।}<br>(3) यदि निवेदन पत्र पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, सन्तुष्ट हो कि लाइसेंस [5]{***} निरस्त अथवा वापस होना चाहिए तो वह तद्नुसार आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी।<br>(4) उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन लाइसेंस स्थगित करने या उपधारा—3 के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गयी हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर [6]{अपीलीय प्राधिकारी} के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।<br>(5) [6]{अपीलीय अधिकारी} की आज्ञा अंतिम (Final) होगी।<br>————————————————————————————————<br>1. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—27 के द्वारा जोड़ा गया।<br>2. 1995 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—32 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>3. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—27 के द्वारा ''स्थगित'' भाब्द निकाल दिया गया।<br>4. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—27 के द्वारा जोड़ा गया।<br>5. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—27 के द्वारा ''स्थगित'' भाब्द निकाल दिया गया।<br>6. 1995 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—32 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। |

| | |
|---|---|
| 8–शास्ति | [1]{(1) यदि किसी चल–चित्र यन्त्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है या प्रयोग करने देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अध्यासी चत्रचित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के लिए उस स्थान का प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, या कोई व्यक्ति वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है या [2]{वीडियो पुस्तकालय रखता है या मनोरंजन आयोजित करता है}, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का या उन शर्तों और निर्बन्धनों का जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से जो बीस हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, दो हजार रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।<br>(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है, या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या द्वारा अधिरोपित अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में ऐसे अधिकारी को अन्यथा बधा डालता है तो वह जुर्माने से जो [3]{दस हजार रुपए} तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।}<br>[4]{(3) यदि कोई व्यक्ति किसी चलचित्र या वीडियो फिल्म या किसी रिकार्ड, जिसमें फिल्म से सम्बन्धित साउण्ड ट्रैक का भाग समाविष्ट है, से सम्बन्धित प्रतिलिप्याधिकार के उल्लघंन, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन दण्डनीय है, से सम्बन्धित अपराध करता है या करने का प्रयास करता या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या चलचित्र या वीडियो कैसेट या अन्य कोई डिवाइस जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाये, की किसी उल्लघंन कृत प्रति को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देता है या उसका विक्रय, भण्डारण करता है, किराये पर देता है या वितरण करता है उसका विनिमय करता है या परिचालन में लाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो [5]{पचास हजार रूपये} से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।<br>(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा–3 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात् उक्त उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध का पुनः दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा''} |
| 8–क–अपराधो का शमन | [6]{(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, राज्य सरकार के इस निमित्त राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनाधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।<br>(2) जहां अपराध का इस प्रकार से शमन–<br>(क) अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व किया जाये, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;<br>(ख) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात किया जाये, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोष मुक्ति होगा।}<br>————————————————————<br>1. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>2. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>3. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>4. 2009 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा रखा गया।<br>5. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>6. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा रखा गया। |

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

| | |
|---|---|
| 9—कम्पनियों द्वारा अपराध | (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी का अवधायक (incharage) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दण्डनीय होंगेः<br>किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध के प्रतिरोध के लिए पर्याप्त श्रम किया है (exercised all due diligence) दण्डनीय न होगा।<br>(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा (consent or conivance) से अथवा किसी ऐसे अनवधानवश (negleet) हुआ है जो उस पर आरोप्य हो तो उक्त डायरेक्टर, मैनेजार, सेक्रेटरी या अधिकारी उस अपराध का दोषी समझाा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तदनुसार दण्डनीय होगा।<br>**स्पष्टीकरण**— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—<br>(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगम निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ (firm) अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था (association) है; तथा<br>(ख) व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में डायरेक्टर ''का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार (partner) से है। |
| 10—विमोचन का अधिकार | राज्य सरकार, सामान्य जनता अथवा उसके किसी वर्ग के हित में, उन शर्तों और निरोधों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करे, [1]{किसी चलचित्र यन्त्र द्वारा अथवा वीडियो द्वारा प्रदर्शन को अथवा प्रदर्शनों के वर्ग को या वीडियो लाइब्रेरी} को इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध से लिखित आज्ञा द्वारा तथा उसके लिए कारण बतलाते हुये विमुक्त कर सकती है। |
| 11—अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण | (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई आज्ञा अथवा दी गई समझी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के विषय में कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं हो सकेगी।<br>(2) राज्य सरकार के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई अथवा दी गई समझी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के कारण उत्पन्न क्षति (damage) अथवा संभाव्य (likely) क्षति के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही न हो सकेगी। |
| 12—निरसन | (1) सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1918, जहाँ तक इसका सम्बन्ध चल—चित्र यन्त्र की फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति से भिन्न विषयों से है, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश में जहां इसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त (repeal) किया जाता है।<br>(2) सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1918 के अधीन दी गई कोई नियम या आज्ञा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रचलित हो, प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अधीन दी गयी [2]{नियम या आज्ञा} समझी जायेगी; और ऐसी किसी [2]{नियम या आज्ञा} के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध तथा प्रचारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, यथावत् प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गये, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।<br>———————————————————<br>1. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—21 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।<br>2. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या—21 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। |

| | |
|---|---|
| 13–नियम बनाने का अधिकार | (1) राज्य सरकार [1]{***}इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।<br>(2) पूर्वगामी अधिकार की सामान्यता को बाधित न करते हुए इन नियममों विशिष्टतः निम्नलिखित के निमित्त व्यवस्था की जा सकती हैः–<br>(क) उन स्थानों की स्थिति तथा उनके विनियमन जहां तथा वे शर्तें जिनके अधीन [2]{चल–चित्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन} दिखाये जायेंगे अथवा [3]{वीडियो लाइब्रेरी} रखी जायेगी।<br>[4]{(कक) [5]{दो लाख रूपये} से अनाधिक के प्रशमन प्रभार का आरोपण जिसका भुगतान करने पर [6]{चलचित्र यन्त्र या वीडियो} द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थल या भवन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों से धारा–10 के अधीन छूट दी जा सकती है।}<br>(ख) इस अधिनियम के अधीन स्थानों के लाइसेंसो के प्रदान तथा नवीकरण के लिए आदेय शुल्क (fees to be levied);<br>(ग) स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण शुल्क;<br>(घ) प्रतिबन्ध, शर्तें तथा निरोध जिनके अधीन लाइसेंस दिये जायें;<br>(ङ) विद्युत उपकरणों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण;<br>(च) अवधि और शर्तें जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।<br>[7]{(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारिक कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखें जायेंगे जब तक की कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुय प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।} |
| 13–क विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति | [8]{उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध, उक्त अधिनियम सन, 2017 के प्रारम्भ होने के पूर्व, लम्बित आवेदन पत्रों और स्थायी भवन निर्माण हेतु दिये गये अनुमोदन तथा प्रदान किये गये लाइसेंस के लिए भी लागू होंगे।} |

———————————————————————————————

1. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा भाब्द ''पूर्व प्रका" ान के प" चात्'' निकाल दिया गया।
2. 1986 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–21 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
4. 1989 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–12 द्वारा जोड़ा गया।
5. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
6. 2009 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
7. 1974 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–27 द्वारा जोड़ा गया।
8. 2018 के उ0प्र0 अधिनियम संख्या–7 द्वारा जोड़ा गया।